29/12/25

पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। मूल वाद पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रा० पत्र 212 RTA का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से फर्म की जाकर दाखिल दफ्तर हो।